अध्याय 8
लेखा और अभिलेख

धारा 35 : लेखा और अन्य अभिलेख

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यथावर्णित अपने कारबार के मूल स्थान पर–

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक या जावक पूर्ति;

(ग) माल का स्टाक;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय;

(ङ.) संदेय और संदत्त आउटपुट कर; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं,

का सत्य और शुद्ध लेखा रखेगा और उसे अनुरक्षित रखेगा :

परन्तु जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में कारबार के एक से अधिक स्थान विनिर्दिष्ट हैं, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखा कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसा लेखा और अन्य विशिष्टियां इलैक्ट्रोनिक रूप में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रख सकेगा और उन्हें अनुरक्षित रख सकेगा।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाए गए किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक और प्रत्येक वाहक इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं, परेषक, परेषिती के अभिलेख और माल के ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे रखेगा, जो विहित किए जाएं।

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग अधिसूचित कर सकेगा, जो अतिरिक्त लेखा या दस्तावेज बनाए रखेंगे।

(4) जहां आयुक्त यह समझता है कि कराधेय व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखा रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कराधेय व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लेखा अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) [1][.....]

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (5) विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 29/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.07.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.08.2021 से प्रभावशील किया गया।
विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक जाता है, अपने लेखा किसी चार्टर्ड अकाउटेंट या लागत लेखापाल द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज, ऐसे प्रारूप और रीति में प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाए।

[A][**परन्तु** इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन है।"

A सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा परंतुक अंतः स्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीयकर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में असफल रहता है, वहां उचित अधिकारी ऐसे माल या सेवाओं या दोनों पर, जिनका लेखा नहीं दिया गया है, संदेय कर की रकम इस प्रकार अवधारित करेगा, मानो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 [2][या धारा 74क] के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

उपयुक्त नियमः नियम 56, 57, 58 एवं 80

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी ईएनआर–01, जीएसटी ईएनआर–02 एवं जीएसटीआर–9ग

---

2 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।